न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेष, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 894–एक / 06 विरूद्ध आदेश, दिनाक 14–4–05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल सभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 14 / 04–05 निग0

श्रीमती मीना पत्नी कमलेश प्रसाद
पुत्री श्री कलिका प्रसाद जाति ब्रहाम्ण
निवासी कृषक ग्राम पिपाहड़ी हाल
निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0 प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

1 श्री गोपाल
2 जय प्रकाश
पुत्रगण कालिकाप्रसाद निवासी ग्राम पिपाहड़ी
परगना गोहद जिला भिण्ड
3 श्रीमती कमलाबाई पत्नी शिवचरन
निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड
4 श्रीमती गीताबाई पत्नी रामौतार पुत्री
स्व0 कालका प्रसाद ब्राहम्ण निवासी सी0 पी0 कॉलोनी
मुरार जिला ग्वालियर
5 श्रीमती रामायणी पत्नी निरंजन प्रसाद
निवासी ग्राम विरखड़ी तहसील गोहद जिला भिण्ड

--अनावेदकगण

श्री एम0 आर0 गुप्ता अभिभाषक, आवेदक
श्री सुनील जादौन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक

14/04–05 निग0 में पारित आदेश दिनांक 14–4–05 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका मीना देवी ने ग्राम पिपहाड़ी स्थित विवादित भूमि का वारिस के आधार पर नामांतरण किये जाने बाबत एक आवेदन पत्र विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त ऐण्डोरी ने प्रकरण कमांक 31/97–98/अ–6 में पारित आदेश दिनांक 22–12–98 द्वारा विवादित भूमि के 1/2 भाग का नामांतरण मृतक कालका प्रसाद शर्मा पुत्र शिवराम शर्मा के स्थान पर वारिस के आधार पर श्री गोपाल, जय प्रकाश पुत्रगण कालका प्रसाद शर्मा, कमला देवी, मायादेवी, गीतादेवी एवं मानादेवी के नाम समान भाग स्वीकार किया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी, गोहद ने अपने प्रकरण कमांक 34/98–99/अ–मा0 में पारित आदेश दिनांक 8–10–99 को अनावेदक का धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया । उक्त आदेश के विरूद्ध आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई । आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने अपने प्रकरण कमांक 13/99–2000/नि0मा0 में दर्ज कर दिनांक 31–1–2001 को निगरानी अस्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोहद का आलौच्य आदेश यथावत रखा । प्रकरण वरिष्ठ न्यायालय से वापिस प्राप्त होने पर पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दिनांक 8–11–2004 को अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण विचारण न्यायालय की ओर प्रत्यावर्तित कर दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । कलेक्टर जिला भिण्ड ने अपने प्रकरण कमांक 26/03–04/निम0 में पारित आदेश दिनांक 6–12–2004 को निगरानी अग्राह्य कर दी । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की । अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 17–2–2006 द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकों की ओर से तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय ने किसी भी पक्षकार को आहूत किए बिना आदेश पारित किया गया था, इस कारण अपीलीय न्यायालय ने उनके आदेश को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है । प्रकरण का निराकरण अभी विचारण न्यायालय में होना है जहां पक्षकारों अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । अतः निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों का वारिसान के आधार पर नामांतरण किया गया । विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा हितबद्ध पक्षकारों (अनावेदकों को) को कोई सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी है उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थिर रखा गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उक्त आदेशों में कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर